

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर,
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 328-23908/जोन-जयपुर/2024/ 263 दिनांक- 16/4/24

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
झुन्झुनु

विषय- सुदेश कंवर, म.स्वा.कार्यकर्ता के स्थाईकरण के संबंध में ।
संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 732 दिनांक 04.07.2023 के क्रम में ।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि सुदेश कंवर, म.स्वा.कार्यकर्ता वर्तमान में आपके अधीन प्रा.स्वा.केन्द्र भौडकी खण्ड उदयपुरवाटी झुन्झुनु में कार्यरत है, के द्वारा राज्य सेवा में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थाईकरण के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है । कार्मिका दिनांक 06.05.2020 से दिनांक 18.11.2020 तक कुल 197 दिवस तक अनुपस्थित रही है, के कारण उक्त अवधि को अकार्य दिवस घोषित किया गया है ।

राजस्थान सेवा नियम के नियम-86 के अनुसार किसी सेवा अवधि को अकार्य दिवस घोषित करने पर पूर्व में की गई सेवा फोरफीट(जब्ब) हो जाती है । अतः उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में पुनः स्थाईकरण के संशोधित प्रस्ताव भिजवावे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 328-23908/जोन-जयपुर/2024/ 263
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी ।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. आदेश/निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6619160

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :15-04-2024 04:09:57